न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 292 सन 2018

अनवान :–

1. अभिमन्य उम्र–10 वर्ष 2. रविना उम्र– 12 वर्ष पि0 धर्मपाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सरस्वती पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 14.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 105/180 की कुल 4.7944हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 13 हिस्सा यानि 0.16445हैक , व खाता संख्या 107/176 की कुल तादादी 8.9183हैक में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 130 हिस्सा यानी 1.6445हैक व खाता संख्या 180/35 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 11.39545हैक भूमि तथा खाता संख्या 213/36 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.24835हैक भूमि स्थित है जिसमें वादीगण संख्या 1 ता 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

वादभूमि मुश्तरका हिन्दु खानदान की भूमि है जो पूर्व में वादीगण के पूर्वजों रामजी व मनसुख के नाम से दर्ज थी जो बाद फोतदगी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य परिवार एवं रिश्तेदारों के मध्य समझौता होने पर वादीगण के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम करवाने पर सहमति हुई है।

वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व मे वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबालदावा/राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार करने व साक्ष्य सबुतो के आधार पर वाद का वाद साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एव आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि सेही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 105/180 की कुल 4.7944हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 13 हिस्सा यानि 0.16445हैक व खाता संख्या 107/176 की कुल 8.9183हैक जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 130 हिस्सा यानि 1.6445हैक भूमि व खाता संख्या 108/35 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 11.39545हैक भूमि तथा खाता संख्या 213/36 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1.24835हैक भूमि दर्ज है में वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है अर्थात प्रत्येक 1/3 – 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official